

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज0
बड़जलास श्री चिमन लाल मीना R.A.S

मिसल नं.
139/2022

तारीख दायर
08/12/2022

तारीख फैसला
20/06/2023

— उनवान —

1. रामफूल पुत्र सोहनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम नेवर तहसील आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
2. नानगी देवी पुत्री सोहनलाल पत्नि कालूराम
3. मुन्ना पुत्री सोहनलाल पत्नि प्रभूलाल
4. ललिता पुत्री सोहनलाल पत्नि रामकिशन
समस्त जाति मीणा ग्राम मीणा पालडी, आगरा रोड जयपुर जिला जयपुर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. जमनलाल पुत्र कन्हैयालाल
2. नारायणी देवी पत्नि कन्हैयालाल
3. राजू पुत्र कन्हैयालाल
4. विक्रम पुत्र कन्हैयालाल
5. जयनारायण पुत्र धोकला
6. रामकिशोर पुत्र कन्हैयालाल
7. रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नेवर तहसील आंधी जिला जयपुर राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी तहसील आंधी, जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री सत्यपाल गुर्जर :- वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक 20.06.2023

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यपाल गुर्जर ने विरुद्ध अप्रार्थीगण एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की जारी की गई। जिसके उपरान्त तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार ने अपने पत्रांक/कैम्प/2023/548 दिनांक 02.06.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रकरण में उपस्थित वकील प्रार्थीगण की एक तरफा सुनवाई किया जकर उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाकर निर्णित किया जाता है कि यदि विवादित भूमि खाता संख्या 175 खसरा नम्बर 370/459 रकबा 12645 हैक्टोर शकै ग्राम नेवर पटवार हल्का नेवर तहसील आंधी जिला जयपुर पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो मुताबिक सीमाज्ञान आदेश अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जात है। निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय मेरे द्वारा टिकित करवाया जाकर आज दिनांक 20.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/06/23
(चिमनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर